वोटिंग बढ़ाने के लिए शुरू होगा व्हाटसएप चैनल

हिसार। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। सोमवार को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी आरओ, एआरओ, सेक्टर अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करवाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिलाा प्रशासन जल्द व्हाटसअप चैनल शुरू करेगा। चुनाव आयोग ने सी-विजिल ऐप बनाया है। इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति वीडियो व ऑडियो बनाकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में पोस्ट डाल सकता है। शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐप पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी।

वोटिंग बढ़ाने के लिए शुरू होगा व्हाटसएप चैनल

हिसार। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। सोमवार को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी आरओ, एआरओ, सेक्टर अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करवाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिलाा प्रशासन जल्द व्हाटसअप चैनल शुरू करेगा। चुनाव आयोग ने सी-विजिल ऐप बनाया है। इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति वीडियो व ऑडियो बनाकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में पोस्ट डाल सकता है। शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐप पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी।

चुनाव के दौरान कर्मचारी व अधिकारी बिना अनुमति के न छोड़े मुख्यालय- उपायुक्त

करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा उपचुनाव के दौरान कर्मचारी व अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े। उन्होंने कहा कि मेडिकल आधार पर ही अवकाश अति आवश्यक होने पर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए। इसके अलावा अवकाश के लिए उपायुक्त के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।

उपायुक्त ने आज कहा कि मेडिकल आधार पर अवकाश लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। चुनावी ड्यूटी होने के कारण यह अवकाश कर्मचारी को तभी मिल सकता है, जब स्वास्थ्य आधार पर यह बहुत जरूरी हो। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए आमतौर पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश लेने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे कहीं न कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। लेकिन सीएमओ द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल प्रमाणपत्र ही मान्य होगा और इसके साथ ही कर्मचारी के लिए अवकाश लेना अत्यंत जरूरी होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अवकाश के लिए आवेदन केवल उपायुक्त के माध्यम से ही भेजा जाए। संबंधित विभाग को सीधे आवेदन भेजने पर आचार संहिता के नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और इसे निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अनावश्यक रूप से ड्यूटी से बचने के लिए अवकाश का सहारा लेने का प्रयास न करें।

अधिकारी सजग व सतर्क रहते हुए करें चुनाव ड्यूटी का निर्वहन–डीसी

पानीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला सचिवालय में मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। लोकसभा आम चुनाव में सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव करवाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी आपसी तालमेल, योजनाबद्ध व गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि समय रहते सभी आवश्यक प्रबंधों को पूरा करें ताकि मौके पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपनी चुनाव ड्यूटी का निर्वहन पूरी तरह से सजग व सतर्क रहते हुए करें। प्रत्येक नोडल अधिकारी को उसकी ड्यूटी को समझाते हुए कहा कि चुनाव कार्य में मतदान से लेकर चुनाव सामग्री देने व जमा करने सहित सभी कार्यों को निष्ठा पूर्वक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस मौके एडीसी डॉ. पंकज, एसपी अजीत सिंह शेखावत, एसडीएम मनदीप सिंह, समालखा एसडीएम अमित कुमार, इसाराना एसडीएम ज्योति मित्तल, सीटीएम टिनू पोशवाल, तहसीलदार सुदेश राणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

लोकतंत्र के महापर्व में सभी की आहुति अपेक्षित-डीसी

पानीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने मंगलवार को जिला सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 25 मई को होने वाले चुनाव में पानीपत की चारों विधानसभाओं के 8 लाख 97 हजार 782 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं की सुविधा के लिए चारों विधानसभाओं में 876 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।चुनावी प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 7 मई को की जाएगी तथा उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा तथा 4 जून 2024 को मतगणना होगी। आगामी 6 जून 2024 चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है और इसी दिन तक आचार संहिता रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह बिना भय व बिना लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

आईजीयू में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के समापन पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन

रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी में महिला शाखा और महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित %अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समापन पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती जयमाला तोमर (लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता, फरीदाबाद) ने विश्वास एवं समावेशन के संदर्भ में नारी सशक्तिकरण% विषय पर अपने विचार रखें। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत मां को समर्पित कविता के साथ की- मां धरती भी है अंबर भी है मां भक्ति भी है मां शक्ति भी है।

महिला सशक्तिकरण हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत रही है। आज विज्ञान, अंतरिक्ष, अन्वेषण और स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की प्रगति ने विश्व भर में देश का परचम लहराया है। आज हम अधिकारों का सम्मान करने, कौशल निर्माण और महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने के प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिए अपने व्यवसाय, अपने प्रभाव और अपनी साझेदारी का उपयोग कर रहे हैं।आज जरूरत है कि हम समाज में परिवर्तन की दिशा में काम करें जो सामाजिक असमानता और अन्याय के विरुद्ध हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा यादव ने कहा कि समावेश की गहरी भावना हर किसी को उचित सम्मान के साथ-साथ निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करती हैं। समावेशी विकास के लिए महिला सशक्तिकरण कौशल को बढ़ावा देने की मांग करता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों और उद्यमियों के रूप में महिलाओं की सम्मानजनक और औपचारिक भागीदारी पैदा करता है, जो भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोण मानदंडों और रूढ़िवादिता को तोड़ता है जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में वर्तमान असमानताएं पैदा की है। लैंगिक समानता, उद्यमिता और कौशल विकास महिलाओं के सशक्तिकरण

के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम संयोजिका प्रो. रोमिका बत्रा ने सभी का स्वागत अभिनन्दन करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मान दिया गया है। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे वेद वाक्य इस बात का उदघोष करते है कि प्राचीन शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा था। महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी परिवार समाज का विकास होना मुश्किल है ।लैंगिक समानता के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। लैंगिक समानता की धारणा स्त्री और पुरुष दोनों के बीच समानता की मांग करती है। महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो. मंजू परुथी ने कहा कि नारी एक साथ कई प्लेटफार्म को संभालती है घर हो या बाहर वह बहुत अच्छे से हर काम को मैनेज करती है। स्त्री और पुरुष दोनों का एक दूसरे के प्रति सहयोग ही परिवार को सुदृढ़ बनता है। आज बहुत जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक मामलों में महिलाओं का समावेशन हो। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और बराबरी का दर्जा दिलवाना है। इस अवसर पर ज्योति (भौतिक विभाग) की कविता %नारी शक्ति% ने सबका मन मोह लिया- मां सीता ससी क्षमा है इसमें, द्रोपदी का साहस है।इसकी ताकत इसकी हिम्मत, चंद्र लोक भी जान गया। इसके कदमों की आहट को सागर भी पहचान गया।

महिला सशक्तिकरण विषय पर रंगोली और पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रो.रश्मि पुंडीर, डॉ. ममता अग्रवाल, डॉ. भारती, डॉ. रीना, डॉ. अल्पा रही। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान- हर्षित (बॉटनी), द्वितीय चेतन (इतिहास), तृतीय गिन्नी (अंग्रेजी) और यशोदा (इतिहास) ने प्राप्त किया। पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान- प्रिया (जूलॉजी), द्वितीय पायल (इतिहास), तृतीय तन्नु और वंदना (हिंदी विभाग) ने प्राप्त किया। मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा यादव को शाल और प्रतीक चिन्ह देकर %नारी शक्ति सम्मान% से सम्मानित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए धारा 144 लागू

नारनौल। जिलाधीश मोनिका गुप्ता आईएएस ने लोकसभा चुनाव-2024 के आदर्श आचार संहिता के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के लिए धारा 144 का आदेश पारित किए हैं। बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर व दीवार पर झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना तथा नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी।

आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन परिसर, दीवार आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। बिना उसकी अनुमति के झंडा फहराना, बैनर लगाना, नोटिस चिपकाना, नारे लिखना आदि पर पाबंदी रहेगी। जहां कहीं भी भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति का विरूपण किया गया तो चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, संबंधित पार्टी, संघ व उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 420, 427, 433 आदि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और नगरपालिका कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, संपत्ति के विरूपण को हटाने पर होने वाला व्यय जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी, संघ व उम्मीदवार आदि से वहन किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ÷सार्वजनिक भवन÷ में सार्वजनिक संपत्तियां शामिल होंगी, लेकिन राजमार्गों पर और सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों पर साइन बोर्ड, सड़क दिशा-निर्देश, राजमार्गों पर मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य नोटिस या साइन बोर्ड पर पाबंदी रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए उपरोक्त संपत्ति को विरूपण करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

उप मंडल मजिस्ट्रेट इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवर्तन मजिस्ट्रेट होंगे। संबंधित एसएचओ, बीडीपीओ, ईओ, सचिव एमसी द्वारा उन्हें आवश्यक रसद सहायता प्रदान की जाएगी। उप मंडल मजिस्ट्रेट इस उद्देश्य के लिए फ्लाइंग स्क्वायड तैयार कर सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा परिकल्पित संपत्तियों के विरूपण की जांच के लिए संबंधित एसएचओ के अधीन उड़न दस्ते का गठन करेंगे।

लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएंः डीसी

करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अनुपालना करें।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठानों में दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन आदि पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।

प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने सभी राजनैतिक दलों से कहा कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रशानिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।

सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने राजनैतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है।

विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए जिम्मेदारी तय

नारनौल। लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। हरियाणा में लोकसभा-2024 का आम चुनाव 25 मई को होगा। ऐसे में जिला महेंद्रगढ़ में सख्ती के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करवाया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल इन अधिकारियों से विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति लेंगे।

उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन व चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के वाहनों के परिचालन संबंधी अनुमति महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज नारनौल से लें व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए।

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा वाहनों पर तथा सार्वजनिक रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकें, रैलियां आदि आयोजित करने के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लेंगे।

शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर के लगाने की अनुमति

नगर आयुक्त नारनौल (नोडल अधिकारी) को उनके अधिकार क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में ईओ, एमसी नारनौल और सचिव, एमसी समिति, महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी से लेनी होगी। होर्डिंग्स लगाने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ से लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी अनुमति को प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन हो।

उन्होंने कहा कि मूल परमिट आदेश को वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाना चाहिए। परमिट आदेशों की किसी भी फोटोकॉपी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों, होर्डिंग, पोस्टर, सार्वजनिक बैठक, रैलियों आदि के संचालन की अनुमति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों, राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्ष, सचिव द्वारा किए गए आवेदन पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि संबंधित क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था भंग होने की कोई संभावना न हो। सुनिश्चित करें कि संबंधित चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 के तहत रखा जाए।

सपने पूरे करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत व समर्पण भाव जरूरीः डॉ. रेखा शर्मा

करनाल, आशुतोष गौतम। स्थानीय सेक्टर 14 स्थित पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह की मुख्यातिथि राजकीय महाविद्यालय, तरावड़ी की प्राचार्या डॉ. रेखा शर्मा ने रहीं और उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता को शुरू करने की घोषणा करते हुए सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी एयर विंग और एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स और सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना से खेलने की शपथ लेते हुए मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और मुख्यातिथि को सलामी दी। प्राचार्या डॉ. रेखा त्यागी व सभी स्टाफ सदस्यों ने मुख्यातिथि महोदय का महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत किया। डॉ. रेखा त्यागी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉ विनोद चहल व प्रोफेसर यशपाल को बधाई दी। मंच संचालन हिन्दी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नवीन बतरा ने किया।

श्री रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से कहा कि वे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और अपने सपने पूरे करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करें। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि अगर आप में जोश, जुनून व जज्बा है तो आप कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें।

प्राचार्या डॉ. रेखा त्यागी ने कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता महाविद्यालय की खेल प्रतिभाओं के लिए शानदार मंच है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय प्रांगण में हर वर्ष वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से विद्यार्थियों में टीम भावना एवं नेतृत्व कौशल का विकास होता है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी हमेशा शानदार प्रदर्शन करते हैं।

यूं रहे परिणाम

लड़कों की 800 मीटर दौड़ में साहिल ने पहला स्थान, गगन ने दूसरा और निशांत ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में सरिता पहले स्थान पर, तनु दूसरे और कोमल तीसरे स्थान पर रही। लड़कियों की शॉट पुट प्रतियोगिता में तनु ने पहला स्थान पर, समृद्धि ने दूसरा स्थान और और दीपा ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कों की लंबी कूद प्रतियोगिता में युवराज पहले स्थान पर, तनित कुमार दूसरे स्थान पर और सचिन कुमार तीसरे स्थान पर रहा। लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में सागर पहले स्थान पर, तनित कुमार दूसरे स्थान पर और साहिल तीसरे स्थान पर रहा। लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में तमन्ना ने पहला स्थान, तनु ने दूसरा और सरिता ने तीसरा स्थान हासिल किया।

राज्य स्तरीय शबद गायन प्रतियोगिता में खालसा कॉलेज ने लगातार तीसरी बार जीती ओवर ऑल ट्राफी

करनाल। गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों ने गुरु नानक खालसा गर्ल्ज कॉलेज संतपुरा यमुनानगर में आयोजित अंतर महाविद्यालय राज्य स्तरीय शबद गायन प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार ओवर ऑल ट्राफी जीती। प्राचार्य डा. गुरिन्द्र सिंह ने बताया कि संगीत विभाग के होनहार छात्र-छात्राओं ने लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर सरदार गुरबचन सिंह मैमोरियल रनिंग ट्राफी जीतकर स्थाई रूप से ट्राफी पर कब्जा किया। उन्होंने बताया कि जीएनजी कॉलेज यमुनानगर की डायरेक्टर वीरेन्द्र गांधी ने ट्राफी, मैडल एवं नकद पुरस्कार देकर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कॉलेज पहुंचने पर विद्यार्थियों को कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रधान स. कंवरजीत सिंह प्रिंस ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। स. कंवरजीत सिंह ने सभी विद्यार्थियों की फीस माफ करने के साथ साथ उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा, कला, साहित्य, खेल, रोजगार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में लगातार नए क्षितिज को छूकर विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। विद्यार्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय कॉलेज के संगीत विभाग के आचार्य डा. कृष्ण अरोड़ा को दिया जिन्होंने उनकी तैयारी करवाई। इसके अतिरिक्त एकल शबद गायन में भी कॉलेज के छात्र देवेन्द्र शर्मा ने भी इसी कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार जीता। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी डा. बीर सिंह, मास्टर राजेश, विजेता विद्यार्थी केशव, मंशा, देव, रोनी, अमन और कनिका भी मौजूद रहे।

ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि को बनाया जा सकता है सुगम–प्रो. बी.आर. काम्बोज

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय कृषि मेला (खरीफ) आज संपन्न हुआ। मेले के अंतिम दिन भी काफी संख्या में किसान विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में, नई तकनीकें, प्रौद्योगिकियों को जानने के लिए पहुंचे। मेले में मुख्य तौर पर किसानों ने विभिन्न स्टॉलों पर तकनीकी जानकारी ली, उन्नत किस्मों के बीज खरीदे। साथ ही प्रश्नोत्तरी सत्र में किसान-वैज्ञानिकों के संवाद के अलावा विशेष तौर पर खेती में ड्रोन तकनीक के महत्व पर चर्चा की गई। मेले में दोनों दिन हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से करीब 67360 किसान शामिल हुए। कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन तकनीक समय, श्रम व संसाधनों की बचत करने वाली एक आधुनिक तकनीक है, जो कृषि लागत को कम करने में व फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। ड्रोन का उपयोग अपनी फसलों के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करने और अधिक प्रभावी कृषि तकनीकों के विकास में सहायक है। बदलते मौसम की स्थिति में भी ड्रोन तकनीक का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं। दुर्गम इलाकों में तथा असमतल भूमि में कीटनाशक, उर्वरकों व खरपतवार नाशक के छिडक़ाव में भी सहायक है। खरपतवार पहचान एवं प्रबंधन में ड्रोन तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है। ड्रोन के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण पारम्परिक सर्वेक्षण की

तुलना में दस गुणा तेज व अधिक स्टीक होते हैं। ड्रोन का उपयोग करके मिट्टी व खेत का विश्लेषण भी किया जा सकता है। कीट व बीमारियों से लडऩे के लिए बड़े स्तर पर ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी सिस्टम से लैस ड्रोन द्वारा कीड़ों, टिड्डियों व सैनिक कीट के आक्रमण का पता लगते ही समय पर कृषि रसायनों का छिडक़ाव करने से फसल के नुकसान को बहुत ही कम किया जा सकता है। प्रिसिजन फार्मिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर जलवायु-स्मार्ट कृषि तथा कृषि से जुड़े अन्य डिजिटल तकनीक को सही तरीकें से क्रियान्वित करने के लिए ड्रोन तकनीक बहुत ही सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने बताया कि मेले के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई नवीनतम किस्मों व कृषि पद्धतियों को जल्दी से जल्दी से किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे कि फसलों की पैदावार बढ़ेगी। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों जैसे भू-जल के स्तर का गिरना, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आना, भूमि की लवणता, क्षारीयता व जल भराव की स्थिति, जलवायु परिवर्तन, फसल विविधिकरण तथा फसल उत्पादन में कीटनाशक एवं रसायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग शामिल है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्टालों को दिए पुरस्कार

विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. बलवान सिंह मंडल ने बताया कि स्टॉलों में से सीड ग्रुप में शक्तिवर्धक सीड्स/आईएफएसए सीड्स, सुपर गोल्ड, करनाल व नाजीरेडू सीड्स/सुपर सीड्स ने क्रमश÷ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार, इन्सेक्टिसाइडस व पेस्टीसाइडस ग्रुप में ग्वाला ऑरगेनिक, देवी क्रॉप साइंस/मेगामनी ऑरगेनिक, मिकाडो क्रॉप साइंस/इंदोरमा ने क्रमश÷ प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए। फर्टिलाइजर ग्रुप में यारा, इफको/एनएफएल, बायोस्टड इंडिया/आईकेएमएस बायोटेक को क्रमश÷ प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार, मशीनरी व ट्रेक्टर ग्रुप में फील्ड मार्शल, करतार ट्रेक्टरस/एमएसडब्ल्यू, रतिया, बीरबल चीमा/रेनबो को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फार्मेस्यूटिकल ग्रुप में टाइटेनिक फार्मा, एमडी बायोसीड्स/बायोडिसेंट फार्मा तथा वेक्सटर हेल्थकेयर को क्रमश÷ प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रगतिशील किसान समूह में सुभाष कंबोज, धर्मवीर/श्रीभगवान व राजेश कुमार क्रमश÷ पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग, कोम्युनिटी साइंस/एग्री टूरिजम, एमबीबी/माइक्रोबायोलॉजी को क्रमश÷ प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार, सरकारी विभाग/एमएचयू/लुवास/एनजीओ में एमएचयू/आईएफएफडीसी, एचएसडीसी/नेशनल सीड्स, जिला विधिक सेवाएं/सरोज ग्रेवाल क्रमश÷ पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे।